



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941

No. 320]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 11 सितम्बर, 2019

सं. जेईआरसी: 1/2009.—विद्युत अधिनियम, 2003 (36 की 2003) की धारा 181 और इस संबंध में आयोग को अधिकार संपन्न बनाने वाली अन्य सभी शक्तियां और पिछले प्रकाशन के बाद, गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, एतद्वारा गोवा और केंद्र शासित प्रदेश (कार्य संचालन) विनियम, 2009 और समय-समय पर यथासंशोधित पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे विनियम में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. लघु शीर्षक, प्रारंभ और सीमा

- (1) इन विनियमों को गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (5वां संशोधन) विनियम, 2019 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारी से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये विनियम गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी पर लागू होंगे।

2. गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के अध्याय VIII के विनियम 68 के अंतर्गत शुल्क और प्रभारों की अनुसूची तथा यथासंशोधित पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे विनियम में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

शुल्क और प्रभारों की अनुसूची

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
1	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 9 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत पारेषण सुविधा की उपलब्धता के संबंध में विवाद का अधिनिर्णय।	पहली 1 मेगावाट पारेषण क्षमता के लिए रु.20,000 (केवल बीस हजार) मांगे गए और उसके बाद रु.5,000 (केवल पांच हजार रुपए) प्रति मेगावाट के बाद, बशर्ते अधिकतम राशि 5,00,000 रुपए (केवल पांच लाख रुपए) हो।

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
2	अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने का प्रारंभिक लाइसेंस शुल्क	संबंधित सरकार द्वारा शुल्क का निर्धारण लंबित होने तक "खाते से" 5,00,000 (पांच लाख रुपए) का "लेखागत" भुगतान।
3	वार्षिक लाइसेंस शुल्क:	
3(i)	33 कि.वाॅट से अधिक नेटवर्क वाली पारेषण लाइसेंस समावेशी एकीकृत उपयोगिताएँ	वर्ष के दौरान या उसके भाग के रूप में प्रति मेगावाट रु.2500/- (दो हजार पांच सौ रुपए) ट्रांसमिशन क्षमता संविदा, बशर्ते कि यह न्यूनतम 5,00,000 रुपए (केवल पाँच लाख) हो।
3(ii)	वितरण लाइसेंस	प्रस्तावित बिक्री (याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित अनुसार) से राजस्व का 0.15% (प्रतिशत) (करों और शुल्कों को छोड़कर) और संबंधित वर्ष के लिए बिजली के मौजूदा टैरिफ (आयोग द्वारा अनुमोदित) पर (राजस्व के रूप में कर्तव्यों) से राजस्व
3(iii)	ट्रेडिंग लाइसेंस:	जेईआरसी (विद्युत ट्रेडिंग) विनियम, 2010 के खंड 6.5 के अनुसार
4	अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन।	0.01% (शून्य-दशमलव शून्य एक प्रतिशत) लेनदेन के मूल्य के लिए, जिसके लिए अनुमोदन मांगा जाता है, बशर्ते कि यह न्यूनतम 5,00,000 रुपए (केवल पांच लाख रुपए) और अधिकतम 20,00,000 रुपए (केवल बीस लाख रुपए) हो।
5.	अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत लाइसेंस के संशोधन के लिए आवेदन:	
5(i)	लाइसेंसधारी द्वारा	रु.1,50,000 (केवल एक लाख पचास हजार रुपए)
5(ii)	लाइसेंसधारी के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा	2,00,000 रुपए (केवल दो लाख रुपए)
6.	अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के अंतर्गत के लाइसेंस के निरसन के लिए आवेदन	
6(i)	लाइसेंसधारी द्वारा	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
6(ii)	लाइसेंसधारी के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
7	ट्रांसमिशन सुविधाओं के उपयोग की मांग के लिए अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत आवेदन	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)
8	अधिनियम की धारा 35 के परंतुक के अंतर्गत अधिशेष क्षमता की सीमा के संबंध में विवाद के लिए आवेदन।	रु. 2,00,000 (केवल दो लाख रुपए)
9	धारा 36 की उप-धारा (1) के परंतुक के अंतर्गत दरों, शुल्कों, निबंधन एवं शर्तों के निर्धारण के लिए आवेदन।	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
10.	अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित धारा 2 की उप-धारा (47) के अंतर्गत गैर-भेदभावपूर्ण खुली पट्टी के प्रावधान के बारे में विवादों के लिए और इसमें निर्दिष्ट नियम, ऊपर कवर किए गए हैं:	
10(i)	किसी लाइसेंसधारी या किसी उत्पादन कंपनी द्वारा संदर्भित।	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
10(ii)	व्यक्ति द्वारा संदर्भित जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण और रखरखाव और संचालन किया है।	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)
10(iii)	उपभोक्ता / उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा संदर्भित।	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)
11.	विद्युत अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2), (3) और (4) के साथ पठित धारा 2 की उप-धारा (47) तथा उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत गैर-भेदभावपूर्ण खुली पट्टी के प्रावधान के संबंध में विवादों पर अधिनिर्णय:	
11(i)	नीचे (ii) में संदर्भित उत्पादन कंपनी के अलावा किसी लाइसेंसधारी द्वारा या किसी उत्पादन कंपनी के द्वारा	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
11(ii)	किसी उत्पादक कंपनी द्वारा जो पहले से ही वितरण लाइसेंसधारक की वितरण प्रणाली से जुड़ा है या ऐसा व्यक्ति जो किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का रखरखाव और संचालन करता है।	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)
11(iii)	उपभोक्ता/ उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)
12.	आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ का निर्धारण:	
12(क)(i)	परम्परागत ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) संयंत्र	100 मेगावाट तक की क्षमता के लिए 15,00,000 रुपए (केवल पंद्रह लाख रुपए) और प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसकी क्षमता के भाग के लिए 20,000 रुपए (केवल बीस हजार रुपए)।
12(क) (ii)	पारंपरिक हाइड्रो (25 मेगावाट से अधिक))	100 मेगावाट तक की क्षमता के लिए 15,00,000 रुपए (केवल पंद्रह लाख रुपए) और प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसकी क्षमता के भाग के लिए 10,000 रुपए (केवल दस हजार रुपए)।
12(ख)	सह-उत्पादन सहित ऊर्जा के गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत	मेगावाट की स्थापित क्षमता रु.1,00,000 या 10 मेगावाट से अधिक क्षमता के लिए रु.5,00,000
12(ख)(i)	1 मेगावाट क्षमता से कम	रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
12(ख)(ii)	1 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता	रु.15,00,000 (प्रति पंद्रह लाख रुपए) की सीमा के साथ 1,00,000 (केवल एक लाख रुपए) प्रति मेगावाट क्षमता
12 (ग)	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएँ - नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं (सभी नवीकरणीय स्रोतों) की निर्दिष्ट स्तरीय टैरिफ निर्धारण परियोजना	
(i)	2.00 मेगावाट तक	रु. 2,50,000/-
(ii)	2.00 मेगावाट से अधिक	रु. 5,00,000/-
13	धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत बिजली के ट्रांसमिशन के लिए टैरिफ का वार्षिक/ आधार वर्ष निर्धारण का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा: बशर्ते कि ऐसा शुल्क तभी देय होगा जब ऐसा निर्धारण लाइसेंसधारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या आयोग द्वारा स्वतः निर्धारण किया जाए।	रु. 20,00,000 (केवल बीस लाख रुपए)
14	वार्षिक टू-अप, एपीआर और धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के प्रावधानों के अंतर्गत बिजली के खुदरा और डब्ल्यू/ व्हीलिंग शुल्क का भुगतान निर्धारण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा: ऐसा शुल्क निर्धारण लाइसेंसधारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या आयोग द्वारा स्वतः निर्धारण द्वारा आवेदन पर होगा।	प्रस्तावित बिक्री (केवल न्यूनतम दस लाख रुपए) की प्रति 1000 यूनिट दर 1.25 रुपए (एक रुपया और पच्चीस पैसे)
15	बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे के अंतर्गत नियंत्रण अवधि के दौरान टैरिफ के निष्पादन और लाइसेंसधारी के निष्पादन की समीक्षा, जिसका भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा।	10,00,000 रुपए (केवल दस लाख रुपए)
16	टैरिफ ऑर्डर की समीक्षा के लिए याचिका	रु.5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
17	(i) उपभोक्ता द्वारा याचिका फाइलों की समीक्षा (ii) उपभोक्ताओं के समूह/ संघ द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका	(i) रु. 50,000 (केवल पचास हजार) (ii) रु. 2,00,000 (केवल दो लाख रुपए)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
18	लाइसेंसधारी द्वारा दायर विद्युत क्रय करार या विद्युत क्रय दर के लिए याचिका।	रु.5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
19	अधिनियम की धारा 45 और धारा 46 के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारियों के प्रभारों की अनुसूची के अनुमोदन के लिए आवेदन	रु.2,00,000 (केवल दो लाख रुपए)
20	लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच विवाद तथा लाइसेंसधारियों के बीच विवाद, जिन्हें इन विनियमों में अन्य कहीं भी शामिल नहीं किया गया है, का धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (च) के अंतर्गत अधिनिर्णय	रु.10,00,000 (केवल दस लाख रुपए)
21	अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (च) के खंड (च) के अंतर्गत पारित आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन	रु.3,00,000 (केवल तीन लाख रुपए)
22	आयोग के आदेशों/ अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदन	रु.300 (प्रति दिन तीन सौ रुपए) जिसकी अवधि 3 घंटे से अधिक न हो।
23	दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति/ आयोग का आदेश	रु.10 (दस रुपए) प्रति पृष्ठ
24	संवाद के लिए आवेदन	रु. 20,000 (केवल बीस हजार)
25	विविध आवेदन	शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा मामले के आधार पर किया जाएगा।
26	व्यापार योजना के अनुमोदन के लिए याचिका	रु. 5,00,000 (केवल पाँच लाख रुपए)
27	लाइसेंसधारी, नियम 2006 के कार्यों के नियम 3 के उप-नियम 1 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या किसी अधिकृत अधिकारी के आदेश के खिलाफ संशोधन के लिए याचिका।	1,50,000 रुपए (केवल एक लाख पचास हजार)
28	विद्युत अधिनियम, 2003 (सड़कों, रेलवे आदि का उद्घाटन) की धारा 67 उप-खंड (4) के अंतर्गत उत्पन्न विवाद	25,000 रुपए (केवल पच्चीस हजार)
29	टैरिफ ऑर्डर को टूट अप करने का आवेदन, यदि एक अलग याचिका के रूप में दायर किया गया हो	रु. 2,00,000 (केवल दो लाख रुपए)

क्र.सं.	विवरण	शुल्क (रुपए में)
30	ईए, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत शिकायत	शून्य

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन –III/4/असा./208/19]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**(For the State of Goa and Union Territories)****NOTIFICATION**

Gurugram, the 11th September, 2019

No. JERC: 1/2009.—In exercise of the powers conferred by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling the Commission in this behalf and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories hereby makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Conduct of Business) Regulations, 2009 and as amended by 1st, 2nd, 3rd, & 4th amendment from time to time.

1. Short Title, Commencement and Extent

- (1) These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business) (5th Amendment) Regulations, 2019.
 - (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.
 - (3) These regulations extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.
2. The schedule of fees and charges under Regulation 68 of Chapter VIII of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Conduct of Business) Regulations, 2009 and as amended by 1st, 2nd, 3rd & 4th amendment from time to time is amended as under:-

SCHEDULE OF FEES & CHARGES

Sl. No.	DESCRIPTION	FEES (IN RS)
1	Adjudication of dispute regarding availability of transmission facility under the second proviso to sub-section (2) of Section 9 of the Electricity Act, 2003.	Rs 20,000 (Rupees Twenty Thousand only) for the first 1 MW of transmission capacity sought and Rs 5,000 (Rupees Five Thousand only) per MW thereafter, subject to a maximum of Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
2	Initial licence fee upon grant of licence under Section 15 of the Act	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakhs) as “on account” payment pending determination of fees by the concerned Government
3	Annual Licence Fees:	
3(i)	Transmission Licence inclusive Integrated Utilities having network above 33kV	Rs 2500/- (Rupees Twenty-Five hundred) per MW of transmission capacity contracts in force during the year or part thereof, subject to a minimum of Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
3(ii)	Distribution Licence	0.15% (percent) of revenues (excluding taxes, and duties) from the proposed sales (as proposed by the petitioner) and at existing tariff (approved by the Commission) of electricity for that respective year
3(iii)	Trading Licence:	As per Clause 6.5 of JERC (Electricity Trading) Regulation, 2010
4	Application seeking prior approval under Section 17 of the Act.	0.01% (Zero-point zero one percent) of the value of the transaction for which approval is sought, subject to a minimum of Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only) and maximum of Rs 20,00,000 (Rupees Twenty Lakh only)
5.	Application for amendment of licence under Section 18 of the Act:	
5(i)	By Licensee	Rs 1,50,000 (Rupees One Lakh Fifty Thousand only)
5(ii)	By any person other than a Licensee	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)
6.	Application for revocation of licence under sub – Section (2) of Section 19 of the Act	
6(i)	By Licensee	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)

Sl. No.	DESCRIPTION	FEES (IN RS)
6(ii)	By any person other than a Licensee	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
7	Application under section 35 of the Act for seeking the use of intervening transmission facilities	Rs. 1,00,000 (Rupees One Lakh only)
8	Application of dispute regarding extent of surplus capacity under the proviso to Section 35 of the Act.	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)
9	Application for determination of rates, charges, terms and conditions under proviso to sub-section (1) of Section 36	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
10.	Application of disputes regarding provision of non-discriminatory open access under sub-section (47) of Section 2 read with Section 40 of the Act and regulations specified thereunder, note covered above:	
10(i)	Referred By a Licensee or by a Generating Company	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
10(ii)	Referred By person who has constructed and maintains and operates a Captive Generating Plant.	Rs 1,00,000 (Rupees One lakh only)
10(iii)	Referred by Consumer/Consumer Representative.	Rs 1,00,000 (Rupees One lakh only)
11.	Adjudication of disputes regarding provision of non-discriminatory open access under sub-clause (47) of section 2 read with sub-section (2) , (3) and (4) of Section 42 of the Electricity Act and regulations specified thereunder:	
11(i)	By a Licensee or by a Generating Company other than a Generating Company referred to in (ii) below	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
11(ii)	By a Generating Company already connected to the distribution system of a Distribution Licensee or by Person who has constructed maintains and operates a Captive Generating Plant	Rs 1,00,000 (Rupees One lakh only)
11(iii)	By consumer /Consumer Representative	Rs 1,00,000 (Rupees One lakh only)
12.	Determination of tariff under the provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 62 to be paid by the applicant:	
12 (a) (i)	Conventional fuel based (coal, Oil etc.) Plant	Rs 15,00,000 (Rupees Fifteen lakh only) for capacity upto 100 MW and Rs 20,000 (Rupees Twenty Thousand only) for each additional MW or part thereof of capacity.
12(a) (ii)	Conventional Hydro (More than 25 MW)	Rs. 15,00,000 (Rupees Fifteen lakh only) for capacity up to 100 MW and Rs. 10,000 (Rupees ten thousand only) for each additional MW or part thereof capacity
12 (b)	Non – conventional & Renewable Sources of Energy, including co-generation:	Rs.1,00,000 installed capacity of MW or Rs. 5,00,000 for capacity above 10 MW
12(b)(i)	Below 1 MW capacity	Rs. 1,00,000 (rupees one lakh only)
12(b)(ii)	1 MW and above capacity	Rs. 1,00,000(Rupees one lakh only) per MW of capacity with a ceiling of Rs.15,00,000 (Rupees fifteen lakh only)
12 (c)	Renewable energy generation projects-Project specified levellised tariff determination of renewable energy generating projects (all renewable sources)	
(i)	Up to 2.00 MW	Rs. 2,50,000/-
(ii)	Above 2.00 MW	Rs. 5,00,000/-
13	Annual /base year determination of tariff for transmission of electricity under the provisions of clause (b) of	Rs 20,00,000 (Rupees Twenty Lakh only)

Sl. No.	DESCRIPTION	FEES (IN RS)
	sub-section (1) of Section 62, to be paid by Licensee: Provided that such fees are payable whether such determination is upon application by the Licensee or by any other Person or suo-motu determination by the Commission.	
14	Annual True up, APR and determination of retail & Wheeling charges of electricity under the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by Licensee: such fees determination is upon application by the Licensee or by any other Person or suo-motu determination by the Commission.	Rs 1.25 (Rupee One and Twenty-Five paisa) per 1000 units of proposed sales (Minimum Rupees Ten Lakh only)
15	Annual performance review of tariffs and performance of the Licensee during the control period under a multi-year tariff framework, to be paid by the Licensee.	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
16	Petition for review of Tariff Order	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
17	(i) Review Petition files by the consumer (ii) Review petition filed by a Group/Association of the consumers	(i) Rs. 50,000 (Rupees fifty Thousand only) (ii) Rs. 2,00,000 (Rupees two lakh only)
18	Petition for Power Purchase Agreement or Power Procurement rate filed by the licensee.	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
19	Application for approval of the schedule of charges of a Distribution Licensee under Section 45 and Section 46 of the Act	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)
20	Adjudication under clause (f) of sub-section (1) of section 86 of disputes between licensees and generating companies and between licensees themselves not covered elsewhere in these Regulations.	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
21	Application for review of Order passed under clause (f) of sub-section (f) of section 86 of the Act	Rs 3,00,000 (Rupees Three Lakh only)
22	Application for inspection of Orders / Records of the Commission.	Rs 300 (Rupees Three Hundred per day) for a period not exceeding 3 hrs.
23	Supply of copies of documents / order of the Commission	Rs 10 (Rupees Ten) per page.
24	Interlocutory application	Rs 20,000 (Rupees Twenty Thousand only)
25	Miscellaneous application	The fee will be determined by the Commission on case to case basis.
26	Petition for approval of Business Plan	Rs. 5,00,000 (Rupees Five lakh only)
27	Petition for revision against the Order of the District Magistrate or	Rs 1,50,000 (Rupees One Lakh Fifty Thousand only)

Sl. No.	DESCRIPTION	FEES (IN RS)
	Commissioner of Police or an authorised officer under sub rule 1 of Rule 3 of the works of Licensee, Rules 2006.	
28	Dispute arising under Section 67 sub section (4) of the Electricity Act, 2003 (Opening of Streets, Railways etc.)	Rs 25,000 (Rupees Twenty-Five Thousand only)
29	Application of truing up of Tariff Order, if filed as a separate Petition	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)
30	Complaint u/s 142 of the EA, 2003	Nil

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./208/19]